10 / पर्य0गृ0स्था0–02 / 2025-

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

(समाज कल्याण निदेशालय)

सूचना

किशोर न्याय अधिनियम (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) 2015 की धारा–47 में निहित प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में सम्प्रेक्षण गृह (Observation Home) के संचालन का प्रावधान है। उक्त प्रावधान के आलोक में अरवल, कटिहार, मधुबनी, गोपालगंज, वैशाली, बक्सर, औरंगाबाद, सहरसा, शेखपुरा, शिवहर, किशनगंज, भोजपुर सारण एंवं सीतामढ़ीं जिले में 50 बालकों की आवासीय क्षमता वाले सम्प्रेक्षण गृह का संचालन किया जाना है, ऐसे प्रत्येक सम्प्रेक्षण गृह हेतु कुल 8920 वर्गफुट भवन क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। उपरोक्त से संबंधित विस्तृत विज्ञापन समाज कल्याण विभाग के वेबसाईट https://state.bihar.gov.in/socialwelfare/CitizenHome.html के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है।

उक्त गृह हेतु किराया का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा अधिकतम 50,000 / – (पचास हजार रूपये) मात्र निर्धारित है। इच्छुक मकान मालिक अपना आवेदन संबंधित जिलों के सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई को भेजते हुए उसकी एक प्रति निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय (E-mail ID- dirdsw-bih@nic.in) पर भी उपलब्ध कराएंगे।

इच्छुक आवेदकों द्वारा विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित जिला के सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई से सम्पर्क करते हुए विहित प्रपत्र में आवेदन किया जा सकता है।

02-04-25

निदेशक,

समाज कल्याण